# समाहरणालय शेखपुरा

(पंचायत शाखा)

## अल्पकालीन निविदा सूचना

पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की तैयारी के क्रम में शेखपुरा जिला अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों क्रमशः

1. मतदान/मतगणना सामग्री, आई0टी0 उपस्कर एवं अन्य सामग्री इत्यादि के क्रय,
2. मतदान/नाम निर्देशन के लिए मानक एवं गैर मानक प्रपत्रों, लिफाफे, पंजियों, लेखन सामग्री, विभिन्न प्रपत्रों, व्यय अनुवीक्षण आदेश एवं शेडो व्यय पंजी का मुद्रण,
3. टेन्ट/शामियाना/कुर्सी/टेबुल/ब्रेंकेटिग/जेनरेटर/प्रकाशिय व्यवस्था एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र इत्यादि भाड़े पर उपलब्ध कराने,
4. भाड़े पर कम्प्युटर सिस्टम/स्कैनर/प्रिंटर/रंगीन LCD टी.वी./फैक्स मशीन/सी.सी.टी.वी कैमरा/जी0पी0एस0 ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध कराने,
5. विडियोग्राफी/स्टील कैमरा/आई0डी0 कार्ड इत्यादि,
6. पोर्टेवल अग्निशमन यंत्र,
7. कोविड–19 के रोकथाम से संबंधित सामग्री,
8. भोजन, नास्ता हेतु तैयार भोज्य सामग्री का पैकेट्स (निर्धारित मीनू के अनुसार) तथा चाय/कॉफी इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु

दर निर्धारण के लिए अनुभवी एवं योग्य फर्मो से द्विलिफाफा पद्धति में मुहरबंद निविदा दिनांक 18.09.2021 के अप0 01:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी शेखपुरा जिला के वेबसाईट **http://sheikhpura.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है, तथा निविदा हेतु विहित प्रपत्र दिनांक 17.09.2021 तक सभी कार्य दिवस को कार्य अवधि में जिला पंचायत कार्यालय शेखपुरा में 500/– (पाँच सौ) रूपये मात्र जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। सभी कार्यों निविदा दाता को जिला पंचायत कार्यालय शेखपुरा द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में दर देना होगा, अन्यथा निविदा अमान्य हो जायेगा। निविदा निर्धारित/समय तक जिला पंचायत कार्यालय, शेखपुरा में जमा किया जा सकता है एवं प्राप्त निविदाओं को दिनांक 18.09.2021 के अप0 03:00 बजे जिला निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा समिति के समक्ष निविदादाता स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते है।

निर्धारित तिथि को निविदा का निष्पादन नहीं होने की स्थिति में पुनः निविदा निष्पादन की तिथि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

**विस्तृत जानकारी जिला का वेबसाईट http://sheikhpura.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।**

(क) **निविदा की सामान्य शर्तेः–**

1. कोई भी निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा के साथ संलग्न की जाने वाली कागजात निविदा जमा करते समय संलग्न रहना चाहिये। बाद में कागजात जमा करने संबंधी किसी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा।

2. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफ में रहेगा। उक्त दोनों लिफाफा को एक अलग लिफाफा में मुहर बन्द करके प्रस्तुत किया जायेगा।
3. तकनीकी निविदा सर्वप्रथम खोला जायेगा। तकनीकी निविदा के शर्तों के अनुसार पात्रता रखने वाले फर्मों का वित्तीय निविदा से संबंधित लिफाफा खोला जायेगा।
4. सामग्रियों एवं मुद्रण हेतु कागज/रजिस्टर इत्यादि का नमूना निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. कोई भी फर्म एक से अधिक आईटमों के लिए निविदा दे सकते हैं।
6. आईटमवार निविदा अलग–अलग लिफाफें में देनी होगी तथा प्रत्येक आईटम के अलग–अलग अग्रधन की राशि से संबंधित बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
7. चयनित फर्मों द्वारा कार्यादेश के बाद कार्य नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभुति की राशि जब्त कर ली जायेगी।
8. बगैर कोई कारण बताये निविदा रद्द करने, संशोधन करने, कार्यहित एवं समय सीमा को देखते हुये न्युन्तम दर पर कार्य एक से अधिक फर्मों में बाँटने एवं समझौता का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

**(ख) <u>तकनीकी निविदा की शर्तेः–</u>**

1. फर्म को GST Number एवं पैन नम्बर देना होगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2020–21 का GST Return, एवं विगत तीन वर्षों का आयकर Return जमा करने की विवरणी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. कोटि 1–4 हेतु फर्म का गत वित्तीय वर्ष का Turn-over न्यूनतम 25 लाख का, कोटि 5–7 के लिए न्यूनतम 10 लाख का तथा कोटि 8 के लिए न्यूनतम 3 लाख का होना अनिवार्य है। जिसका Balance Sheet जमा करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा।
4. निविदादाता का फर्म Shop & Establishment Act/SSI के तहत निबंधित होना अनिवार्य है।
5. निविदादाता को संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक से निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. कोटि 1–4 के निविदा के लिए 25000/– (पच्चीस हजार) एवं अन्य कोटि के लिए 10000/– (दस हजार) का अग्रधन का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), शेखपुरा के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा। प्रत्येक आईटम के लिए अलग–अलग अग्रधन राशि जमा करना होगा।
7. कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र एनेक्सचर–1 एवं एनेक्सचर–2 में ही दिया गया निविदा मान्य होगा। एनेक्चर–1 एवं एनेक्सचर–2 जो निर्धारित तिथि मे किसी भी कार्य दिवस में जिला पंचायत कार्यालय में 500/– (पाँच सौ) रूपये जमा करने पर प्राप्त की जा सकती है।
8. कार्य आवंटन होने के पश्चात् जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक सामग्री उपलब्ध कराना होगा इसके लिए किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

9. निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई करते हुये जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा फर्म को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी।
10. निविदा दाता फर्म को यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनका किसी राजनैतिक दल से संबद्धता नहीं है।
11. आपराधिक मामला से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
12. Sub Contracting संबंधी शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

(ग) <u>वित्तीय निविदा की शर्तेः—</u>

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता फर्म का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2. सफलता पूर्वक कार्य निष्पादन के उपरान्त भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार करों की कटौती कर ली जायेगी।
3. उपरोक्त शर्त्तो के अलावे समय–समय पर राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना द्वारा निर्धारित शर्त्तो/निर्देशो का अक्षरशः पालन करना होगा।
4. कार्यादेश के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने व्यय पर जिला पंचायत कार्यालय/निर्धारित स्थल पर करना होगा।
5. सामग्रियों का दर सभी प्रकार के लागत एवं कर सहित अंकित करना होगा।

7/9

**जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),**
**—सह— जिला पदाधिकारी,**
**शेखपुरा**